कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–माध्य/साप्र/बी–2/4418(68)/2021/219 दिनांक 26.07.2022

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा, संभाग स्तरीय कार्यालय,

विषयः– सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के आचरण के संबंध में।

प्रसंगः– प. 13(1)(9)शिक्षा–2/15वीं/सत्र–2/वि.ह.प्र./2019 जयपुर दिनांक 05.07.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार शासन द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 13(1)(9)शिक्षा–2/15वीं/सत्र–2/वि.ह.प्र./2019 जयपुर दिनांक 05.07.2022 की प्रति संलग्न कर लेख है कि उपरोक्त परिपत्र में जारी दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(दयाशंकर अरड़ावतिया)
उप निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

क्रमांकः शिविरा–माध्य/साप्र/बी–2/4418(68)/2021/ दिनांक
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ
1.अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा विभाग जयपुर
2. प्रधानाचार्य,राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर
3. प्रधानाचार्य, सार्दुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर
4. प्रधानाचार्य,राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर
5 समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर / जोधपुर
8. स्टॉफ ऑफिसर, निजी अनुभाग (निदेशक) माध्यमिक।
9. निजी अनुभाग (अति.निदेशक) माध्यमिक।
10. समस्त ग्रुप अधिकारी/अनुभाग अधिकारी माध्यमिक ।
11. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
12. रक्षित पत्रावली

उप निदेशक(प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

18 218/C

राजस्थान सरकार
कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा,
पुस्तकालयाध्यक्ष, पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) एवं संस्कृत शिक्षा

क्रमांक : प. 13(1)(9)शिक्षा–2 / 15वीं / सत्र–2 / वि.ह.प्र. / 2019 जयपुर दिनांक : 5/7/2022

IMMEDIATE

GAD-I
11.07.202

परिपत्र

विषय : सरकारी अधिकारी / कर्मचारी के आचरण के संबंध में।

राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम, 03 व 04 तथा 11 के अन्तर्गत स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी सरकारी अधिकारी / कर्मचारी अनुचित व अशोभनीय आचरण नही करेगा, कर्त्तव्यनिष्ठा एवं कार्यालय की गरिमा बनाए रखेगा तथा सरकार के किसी कदम या नीति की आलोचना नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद कुछ अधिकारियों / कर्मचारियों के द्वारा उक्त नियमों की पालना नहीं किये जाने एवं सोशल मीडिया, मोबाईल, प्रेस, संचार माध्यमों इत्यादि के माध्यम से जनप्रतिनिधि / अधिकारी / कर्मचारियों के विरूद्ध मनगढ़न्त तथा अनर्गल आरोप प्रचारित / प्रसारित किए जाने की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं, जिससे उनके अनुचित व अशोभनीय आचरण से सरकार की छवि धूमिल होती है।

अतः इस संबंध में समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे सोशल मीडिया, मोबाईल, प्रेस, संचार माध्यमों इत्यादि पर किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी पार्टी अथवा संस्थान के विरूद्ध तथ्यहीन, निराधार, असत्यापित, गरिमा व प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली अनर्गल / मनगढ़न्त टिप्पणियों कतई प्रचारित / प्रसारित नहीं करें, यदि उक्त निर्देशों का किसी भी अधिकारी / कर्मचारी के द्वारा उल्लंघन किया जाना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध सी.सी.ए. नियमों के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

सभी संबंधित उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।

Rajasthan Education Department

(पवन कुमार गोयल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीया शिक्षा राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महोदय स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समसा।
5. निदेशक, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, अधीनस्थ अधिकारियों को अपने स्तर पर निर्देश जारी कर उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।
6. वरिष्ठ उप शासन सचिव व समस्त उप शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
7. निदेशक, संस्कृत शिक्षा / साक्षरता एवं सतत शिक्षा / भाषा एवं पुस्तकालयाध्यक्ष विभाग / एसीईआरओ।
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड / पाठ्यपुस्तक मण्डल / स्टेट ओपन स्कूल / बालिका शिक्षा फाउण्डेशन / शिक्षाकर्मी बोर्ड।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव